तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म ... में ...
8.5.14	वकील वादी एवं पैरोकार सरकार उप० प्रतिवादी सं० 2 एवं उनके अधिवक्ता उप० नहीं अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वादी एवं प्रतिवादी के बीच एक राजीनामा होना जाहिर करते हुए वादी ने प्रकरण में बहस सुनने हेतु निवेदन किया जिस पर पैरोकार सरकार ने अपनी सहमति दी थी।	
	हमने उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भाँति अवलोकन किया। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क किया कि कि आ.स.नं. 306/0.22 वाके ग्राम बीरधला तह० टोंक वादी एवं तरतीवी प्रति० की खातेदारी की भूमि है जिसके बतरफ दक्षिण दिशा में रास्ता है जो आमद रफ्त के काम आता है, जिससे प्रति० का कोई सम्बंध नहीं है फिर भी वह वहाँ सड़क निर्माण करना चाहते हैं जिससे वादी को कोई एतराज नहीं है लेकिन वे जबरन खे० नं० 306/0.22 में होकर सड़क बनाना चाहते हैं। अतः प्रति० को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वि.आ. में किसी प्रकार मुदाखलत मजाहमत न करें तथा निर्माण नहीं करें।	
	उभय पक्ष की बहस पर गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं० 2066-69 के खाता सं० 103 पर वि० आ० खे०नं० 306/0.22 वाके ग्राम बीरधला की बाबत "मूला नवल [illegible] जात का देर खातेदार" दर्ज [illegible] जाता है। नकल नक्शा [illegible] के बतरफ दक्षिण [illegible] गया है। जिसमें होकर वादी ने आवागमन का रास्ता होना बहस के दौरान बतलाया, तथा यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि रास्ता में होकर पक्की सड़क बनाये जाने में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है अतः प्रकार-	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:11:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नवल सिंह वि. राज्य सरकार वगैरह
दावा सं. 107/11

4/5

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त समस्त विवेचन से यह साबित है कि वादी एवं तरमीमी प्रति० कि आ० ख० नं $\frac{306}{0.22}$ वाले ग्राम कोटपला तह० नगर के रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार हैं तथा विरुद्ध प्रति० डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः आदेश है कि —	
	दावा वादी डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी सं 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे आ० ख० नं. $\frac{306}{0.22}$ वाले ग्राम कोटपला तह० नगर में किसी प्रकार का निर्माण न करें। रास्ता की दृष्टि से सड़क-निर्माण करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो।	
	(हस्ताक्षर) (हरिराम [illegible]) उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) राज०	
	निर्णय आज दिनांक 8-5-14 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	(हस्ताक्षर) (हरिराम [illegible]) उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) राज०	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:11:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner